



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा—2013

विज्ञापन संख्या — ए-१/ई-२/२०१५-१६

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि — ०७ अप्रैल, २०१५

आवेदन करने की अन्तिम तिथि — २२ अप्रैल, २०१५ (समय रात्रि ११:५९:५९)

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि — २७ अप्रैल, २०१५

वेबसाइट—www.ukpsc.gov.in

Toll Free No. 18001804143

मोबाइल नं: 07060002410



अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

१— अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में स्पेशल अपील संख्या : ७९/२०१० राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० ०८.०६.२०१० तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) १९५३२/२०१० में मा० ०३.०७.२०१० के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

२— आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) आयोग द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।

३— अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **२२ अप्रैल, २०१५** तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

४— अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिन्टआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र, लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात प्राप्त किये जायेंगे जिसके संबंध में सूचना लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के परिणाम में प्रदान की जायेगी।

५— फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् ०५ वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

६— ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

७— आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भाति अध्ययन कर लें तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरें।

८— प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

९— एक अभ्यर्थी के नाम से एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र होने की दशा में उस पद से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

१०— आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा “Online Application” प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र “Submit” बटन को “Click” करने पर ही “Online Application” प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

११— अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर लें।

१२— अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकृत पूर्व सैनिक तथा राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित अभ्यर्थियों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता पदों पर पात्र अभ्यर्थियों से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा-2013 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तानुसार आयोग की वेबसाईट पर **दिनांक 22 अप्रैल, 2015** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित नगरों में लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा हेतु निर्धारित विषय एवं उनके कोड परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं, जिनके अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है। परीक्षा योजना परिशिष्ट-3, लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध कराया गया है।

2. रिक्तियों का विभागवार विवरण निम्नवत् है। कुल रिक्तियां 578 हैं। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
1	लोक निर्माण विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)/ रु 9300—34800 ग्रेड पे रु0 4600	249 (GEN-176, SC-38, ST-10, OBC-25)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (क) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया हो, और (ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/ रु 9300—34800 ग्रेड पे 4600	26 (GEN-20, SC-3, OBC-3)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)/रु0 9300—34800 ग्रेड पे रु0 4600	9 (GEN-6, SC-2, OBC-1)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)/ रु 9300—34800 ग्रेड पे रु0 4600	10 (GEN-7, SC-2, OBC-1)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	
2	पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)/ रु 9300—34800 ग्रेड पे रु0 4200	55 (GEN-18, SC-24, ST-1, OBC-12)	उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)/ रु 9300—34800 ग्रेड पे रु0 4200	14 (GEN-9, SC-2, ST-1, OBC-2)	उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	 (दो) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया हो, या (तीन) राष्ट्रीय सेवा योजना का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/ रु 9300—34800 ग्रेड पे रु0 4200	5 (GEN-3, SC-1, OBC-1)	उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा।	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया हो।

3	पेयजल विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) / रु 9300–34800 ग्रेड पे रु 0 4200	49 (GEN-12, SC-27, ST-7, OBC-3)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा।	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) / रु 9300–34800 ग्रेड पे रु 0 4200	40 (GEN-33, SC-6, ST-1)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से विद्युत/ यांत्रिक में तीन वर्ष का डिप्लोमा।	
4	सिंचाइ विभाग	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) / रु 9300–34800 ग्रेड पे रु 0 4200	106 (GEN-82, SC-12, ST-9, OBC-3)	अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता हानी आवश्यक है :— (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या, (ख) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा या, (ग) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण—पत्र या, (घ) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त तीन वर्ष का डिप्लोमा।	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) / रु 9300–34800 ग्रेड पे 4600	3 (SC-2, ST-1)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण—पत्र।	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया हो।
		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) / रु 9300–34800 ग्रेड पे 4600	5 (GEN-4, ST-1)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण—पत्र।	
		कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि अभियंत्रण) / रु 9300–34800 ग्रेड पे 4600	7 (GEN-5, ST-1, OBC-1)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त कृषि अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या	

				अधिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा कृषि अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण—पत्र।	
--	--	--	--	---	--

नोट:- उक्तानुसार विज्ञापित पदों में निम्न पद विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं—

क्र.सं.	पदनाम/विभाग	आरक्षित पदों की संख्या	आरक्षण की श्रेणी	विकलांगता की श्रेणी
1	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) / लोक निर्माण विभाग	05	सामान्य	ओ.एल.—1 पद ओ.ए.—02 पद पी.डी.—02 पद
		01	अनु०जाति	ओ.ए.
		01	अ०पि०व०	पी.डी.
2	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) / लोक निर्माण विभाग	01	सामान्य	ओ.ए.
		01	सामान्य	पी.डी.
3	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) / पेयजल विभाग	01	अनु०जाति	चलन क्रिया
		01	सामान्य	चलन क्रिया
4	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) / सिंचाई विभाग	03	सामान्य	ओ.एल.
				ओ.ए.
				पी.डी.

3. पद का स्वरूप :- अराजपत्रित (समूह 'ग')/अंशदारी पेंशन।

4. नोट :- 1 (i) समूह "ग" पद हेतु भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता— उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकृत हो।

(ii) शासन के पत्रांक 1097/XXX (2)/2011 दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार 'जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है' उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है।

नोट :- 2 शासन के पत्रांक 809/XXX (2)/2010-3 (1) दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार 'जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।

नोट :- 3 अभ्यर्थी ऑन लाइन आवेदन पत्र भरते समय राज्याधीन सेवाओं में होने या न होने के संबंध में YES/NO पर विलक करें।

5. आयु : (क) कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/पेयजल विभाग/लघु सिंचाई विभाग हेतु— न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1973 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1994 के बाद का नहीं होना चाहिए, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के

अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाए।

(ख) कनिष्ठ अभियन्ता पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग/ सिंचाई विभाग हेतु— न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2015 है, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1973 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1997 के बाद का नहीं होना चाहिए, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाए।

6. अधिकतम आयु सीमा में छूट: विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय—समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

नोट :- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों हेतु अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष लघित रिट पिटीशन (PIL) संख्या— 67 / 2011 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

7. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

8. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

9. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। कुछ निर्धारित प्रारूप इस विज्ञापन के “परिशिष्ट-5” में उल्लिखित हैं।

10. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश, केन्या, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप—महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त में रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता

है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

11. चरित्र :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर ले।

टिप्पणी :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता :— किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जबतक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

14. आवेदन कैसे करें :— इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

15. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाएं।

(2) वेबसाइट पर “Examination” शीर्षक को Click करें एवं लिंक बटन **New User Sign Up** में प्रवेश करें।

(3) लिंक बटन “New User Sign Up” के अन्तर्गत अभ्यर्थी को लिंक बटन **New Registration** दिखाई देगा, जिसमें निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं से सम्बन्धित प्रविष्टियां भरें, एवं प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँचने के उपरान्त **Submit** करें।

(4) पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को उसके मोबाइल नम्बर/ईमेल पर User Id एवं Registration Number प्राप्त होगा।

(5) पंजीकृत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु “Examination” शीर्षक के अन्तर्गत लिंक बटन **Sign In** द्वारा प्रवेश करें एवं लिंक बटन **Click Here For Online Application Form** को खोलें।

(6) ऑनलाइन आवेदन हेतु J.E. EXAMINATION—2013 के सम्मुख “Click Here” पर Click करें।

(7) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही—सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जॉच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करें।

(9) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (40 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG Format (20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(10) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर Click करें।

(11) “आप का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है”, का संदेश प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख ले।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान की प्रिंटआउट निकाल लें।

(13) आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

16. शुल्क :- अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा :-

क्र0 सं0	श्रेणी	शुल्क
01	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु।	₹0 150/-
02	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु।	₹0 60/-

उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी तथा उनके पात्र आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, के होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

नोट :- आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र में अनिवार्य अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापन में वर्णित पदवार अर्हता के अनुसार सही—सही जानकारी हेतु सम्बन्धित विकल्प पर विलक करें। उक्तानुसार प्रदान की गयी सूचना के आधार पर ही सम्बन्धित पद के सापेक्ष अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा।

आवेदन पत्र की प्रिन्ट आउट प्रति इत्यादि आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑन लाईन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

17. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली—2012 यथा संशोधित

2013 (प्रथम संशोधन) व 2014 (द्वितीय संशोधन) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(4) लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

(5) साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक व आरक्षण सम्बन्धी दावों का मूल प्रमाण पत्रों से परीक्षण किया जायेगा यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(8) अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक धण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(9) लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(10) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड—** वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा—

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प दिये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(11) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के

भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ई—मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(12) लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में नॉन—प्रोग्रामेबल सरल बैटरी चालित कैलकुलेटर का प्रयोग प्रश्न पत्र में दिये गये निर्देशों की शर्त के अधीन अनुमन्य है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण को परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा सहित भविष्य में आयोजित की जाने वाली अन्य सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

(14) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण—पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(15) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, जिसके आधार पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्कृति वापस ले ली जाएगी।

(16) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(17) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण (यथा—श्रेणी, उपश्रेणी, शैक्षिक अर्हता आदि) में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(18) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा यथास्थान हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं, तो भी आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(19) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(20) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(21) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(22) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित :— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(24) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:— अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(25) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) :— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(26) परीक्षा भवन में आचरण :— परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को भी परेशान नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(27) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्यक किया जाना चाहिए।

(28) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(29) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय-समय पर अनुश्रवण करते रहें।

(30) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क की स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(31) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :— 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, ,या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ०ए०आर० उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा

3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट—रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(32) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा—

(क) शैक्षिक अहंता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण—पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण—पत्र।

(ख) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण—पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ परिशिष्ट-5 में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए।

(ग) क्षेत्रिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(33) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(34) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश—पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(35) लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा। विज्ञापित सभी पदों के लिए अर्ह अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु केवल एक ही बार साक्षात्कार परिषद के समुख उपस्थित होना होगा।

(36) प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित विभागों हेतु अभ्यर्थियों से वरीयताएं साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन प्राप्त की जायेगी। ऑनलाईन प्रस्तुत वरीयताओं में कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(37) **न्यूनतम अर्हक अंक** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली—2012 (प्रथम संशोधन—2013 एवं द्वितीय संशोधन—2014) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

(38) चयन परिणाम तैयार करने की कार्यवाही संगत सेवानियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(एस०एन० पाण्डेय)
सचिव।

परिशिष्ट-1

लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) निम्न नगरों में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें –

क्र0सं0	नगर	नगर कोड
1.	हल्द्वानी	01
2.	हरिद्वार	02

नोट:- अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जायेगें। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित वैकल्पिक विषयों के कोड हेतु

क्र0सं0	वैकल्पिक विषय	विषय कोड
1.	सिविल / ग्रामीण अभियन्त्रण	01
2.	यांत्रिक अभियन्त्रण	02
3.	विद्युत अभियन्त्रण	03
4.	कृषि अभियन्त्रण	04

नोट—प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 03 वर्ष का डिप्लोमा धारित अभ्यर्थी मात्र सिंचाई विभाग के विज्ञापित पदों हेतु पात्र होगा।

परिशिष्ट-3

संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा-2013, परीक्षा योजना लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

(अ) सामान्य योग्यता परीक्षण

क्र0सं0	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय अवधि
1	सामान्य हिन्दी	100	100 (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)	02 घण्टा
2	सामान्य अंग्रेजी	100	100 (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)	02 घण्टा

(ब) अभियंत्रण विषय (पाठ्यक्रम परिशिष्ट – 2)

क्र0सं0	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय अवधि
1	सिविल इंजी0 (प्रथम प्रश्न-पत्र / द्वितीय प्रश्न-पत्र)	180 / 180	360 / 360 (प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का)	3 घण्टा
2	मैकेनिकल इंजी0 (प्रथम प्रश्न-पत्र / द्वितीय प्रश्न-पत्र)	180 / 180	360 / 360 (प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का)	3 घण्टा
3	इलैक्ट्रीकल इंजी0 (प्रथम प्रश्न-पत्र / द्वितीय प्रश्न-पत्र)	180 / 180	360 / 360 (प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का)	3 घण्टा
4	एग्रीकल्चर इंजी0 (प्रथम प्रश्न-पत्र / द्वितीय प्रश्न-पत्र)	180 / 180	360 / 360 (प्रत्येक प्रश्न 02 अंक का)	3 घण्टा

(स) साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षा) – 100 अंक

1	लिखित परीक्षा	920 अंक
2	साक्षात्कार	100 अंक
कुल योग – 1020 अंक		

परिशिष्ट-4

संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा-2013 पाठ्यक्रम

सामान्य हिन्दी

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय : 02 घण्टे

कुल प्रश्नों की संख्या : 100

पूर्णांक : 100

1. वर्ण संरचना (स्वर और व्यंजन)	10 अंक
2. वर्तनी शोधन / विश्लेषण	10 अंक
3. शब्द रचना – उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास	20 अंक
4. शब्द भेद – रचना, अर्थ, इतिहास, व्याकरण	20 अंक
5. रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग	05 अंक
6. वाक्य रचना	06 अंक
7. वाक्य शोधन	05 अंक
8. शब्द शुद्धिकरण	05 अंक
9. लोकोक्ति एवं मुहावरे	10 अंक
10. अपठित गंद्याश –	
(क) आठ रेखांकित शब्दों / वाक्यों के अर्थ	08 अंक
(ख) उपयुक्त शीर्षक का चयन	01 अंक

नोट – प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रश्न-पत्र का स्वरूप हाईस्कूल स्तर का होगा।

SYLLABUS FOR COMBINED JUNIOR ENGINEER SELECTION

WRITTEN EXAMINATION

**Subject : General English
(Objective Type)**

Time : 02 Hours **M.M. - 100**

No.of questions – 100

UNITS **M.M.**

1. Comprehension 20

A passage of appropriate length which is designed to test the ability of the candidate in the following areas:

(a) Familiarity with vocabulary

(b) Knowledge of English grammar

(c) Thematic understanding of the passage

2. Use of Articles 05

3. Use of correct Prepositions 05

4. One- word substitution 05

5. Synonyms 05

6. Antonyms 05

7. Filling up of blanks with appropriate words 05

8. Verbs – Main, Auxiliary and Modals 05

9. Active/Passive voice 05

10. Direct/Indirect Narration 05

11. Correct spelling of words 05

12. Tenses 05

13. Re-ordering of given sentences into a meaningful paragraph. 05

14. Subject - Verb agreement 05

15. Idioms and Phrases 05

16. Conjunctions 05

17. Homonyms 05

Note : Each Multiple choice question shall be of 01 Mark.

CIVIL ENGINEERING (DIPLOMA COURSE)
GENERAL CIVIL INGINEERING

PAPER-I
SECTION - A

(a) Strength of materials and theory of structures.: 1. Effect of a force, tension and compression, free body diagram, virtual work, force distribution system. 2. Principle of energy, conservation of energy and momentum, rotation of rigid bodies about fixed axis, mass moment of inertia. 3. Stresses and strains: Types of stresses and strains, Definition of tension, compression, shear, bending, torsion, volumetric and lateral strain, Poisson's ratio, Hooke's law. 4. Bending moment and shear force: Types of beam, simply supported, cantilever, fixed, overhanging and continuous beams. 5. Analysis of trusses, slope and deflection of beams. 6. Columns and struts: Long columns, short columns & struts, slenderness ratio. 7. Torsion: Circular shaft, combined bending, torsion and axial thrust, strength of hollow and solid shaft.

(b) Design of reinforced concrete structures.: 1. Design based on working stress method Flexural strength shear strength and bond strength of a singly reinforced RCC beam. 2. Design of lintels, Design of a Cantilever beam and slab. Design of doubly reinforced concrete beam. 3. Design of RCC slab, design of one way and two way slabs. 4. Design of Reinforced brick beams, slab & lintels, design of T-beams. 5. Design of columns and column footings, cantiliver retaining walls. 6. Components of (i) overhead water tank and (ii) Multistoreyed framed structures. 7. Introduction to design based on limit state method. 8. Prestressed concrete.

(c) Steel and Machinery structures.: 1. Tension and Compression members in steel. 2. Design of steel of steel beams. 3. Design of simple column bases. 4. Design of simple trusses and purlins. 5. Design of masonry retaining walls. 6. Design of masonry wall foundation.

(d) Building estimates & coating, construction management, account & entrepreneurship development.

SECTION-B

(a) Soil mechanics and foundation engineering.: 1. Fundamental terms and their relationships. 2. Classification and identification of soils. 3. Phase relationship index property, laboratory determination. 4. Capillary phenomenon permeability, factors affecting permeability. 5. compaction, methods of compaction. 6. Consolidation, difference between compactations and consolidation. 7. Stresses in soil, shear strength, colomb's equation, unconfined compression test. 8. Earth pressure and retaining structures. 9. shallow and deep foundations, classifications of piles. 10. Stabilisation of soils by lime and cement. 11. Sub-surface exploration.

(b) Surveying.: 1. General principles. 2. Chain surveying. 3. Compass Traversing, bearings, local attractions, types of traversing, traverse computations, corrections and missing readings. 4. Leveling-Theory, Temporary & permanent adjustment of levels, types of levelling. Reciprocal levelling, L-section and cross section, Refraction and curvature corrections. 5. contouring - characteristics, uses and plotting of contours. 6. Plane table surveying- orientation, plotting methods, two & three point problems, Lehmann's ruler errors and precautions. 7. Theodolite: Adjustmen (Temporary & permanent) Measurement of angles, curves, horizontal and vertical curves, their design and layout transition curves. 8. Minor Instruments Abneys Level, Tangent Clinometer, ceylone Ghat tracer, pantograph and planimeter.

(c) Building Materials and construction.: 1. Building Materials: Bricks, their classification and characteristics, building stones, source, quarrying, classification and properties, lime, properties,

Cement types, properties and tests, timber and wood products, types, properties and uses, paints, varnishes and distempers, glass and plaster etc., Lime concrete, uses in foundation and terracing, Cement concretes, ingredients, grading of aggregates, workability, water cement ratio, mixing, laying compaction, curing. 2. Building constructions- Detailing of walls, floors, roofs stair cases, doors and windows, finishing of building, plastering pointing, damp proofing etc., Ventilation and air conditioning fire fighting.

(d) Water supply and sanitation for public building.: 1. Sources of water, quality and quantity of water supply, water treatment, water distribution, laying of pipes, building water supply & maintenance. 2. Quantity of sewage, sewerage systems, sanitation and drainage, disposal of rainfall and domestic wastes. Including night soil, waste water and garbage, plumbing for public and residential buildings, septic tanks and soak pit, sewage treatment.

CIVIL ENGINEERING (DIPLOMA COURSE) WATER RESOURCES ENGINEERING

PAPER-II

1. Introduction: Definition of irrigation, necessity of irrigation, history of development of irrigation in india, types of irrigation in india. sources of irrigation water. 2. Rain fall & run-off: Definition of rainfall & run-off, catchment area, dicken's & ryve's formula, types of rain gauges-automatic & non-automatic, stream guaging. 3. Water requirement of crops: Definition of crop season, duty, delta and base period, their relationship, irrigation methods & efficiencies, gross command area, culturable command area, intensity of irrigation, irrigable area, water requirement of crops-kharif and rabi, preparation of water supply schedules for kharif and rabi. 4. Lift irrigation: Types of walls, shallow & deep well, aquifer, types, ground water flow, construction of open wells and tube wells yield of an open/tube well and problems, methods of lifting water, manual and mechanical devices, use of wind mills, lift canals their design, construction and water scheduling. 5. Flow irrigation: Irrigation canals, perrinial irrigation, different parts of irrigation canals and their functions, sketches of different canal cross sections, classification of canals according to their alignment, design of irrigation canals, chezy's formula, mannings formula, kennedy's and lacey's sift theory and equations, comparison of above two silt theory, equations, critical velocity ratio, use of garrets and lacey's charts, various types of canal lining, advantage & disadvantages. 6. Canal head works: Definition, object, general layout functions of different parts, difference between weir and barrage. 7. Regulatory works: Functions and explanation of terms used cross and head regulators, falls, energy dissipates, outlets-different types, escapes. 8. Cross drainage works functions and necessity of the following types: Aqueduct, syphon, superpassage, level crossing, inlet outlet, constructional details of the above. 9. Dams: earthen dams-types, causes of failure, classification into masonry & concrete dams, labelled cross section of goavity dam, spiliways. 10. Water logging and drainage: Definition, causes and effects, detection, prevention and remedies, surface and sub-surface drains and their layout, field drainage, salinity controlling measures, ground water recharging measures. 11. Flood protection: Estimation of flood discharges, systems of flood warning, river behaviour, training works and control, marginal embankments, their design, causes of failure, spurs & dykes, attracting & repelling types, nonstructural flood management, relief & rehabilitation measures. 12. Irrigation management: Checking of irrigated, areas, raising water charges, bills, compensation for crop damages, penalties for unauthorised use of irrigation water, procedure for imposition of panel rates. Canal law and its application, formation of water users, associations and their participation in irrigation management, command area development. 13. Major irrigation projects in India. 14. Fluid mechanics: (a) Properties of fluids, hydrostatic pressure of various types of surfaces, measurement of pressure, kinematics of fluid flow. (b) Dynamics of fluid flow, bernouli's theorem, measurement of flow, pilot tube, piezometer, orifices venturimeter, current meter. (c) Flow through pipes-losses and pipe network, water hammer, reynold's number. (d) Flow through open channels-hydolic

gredients, equation for uniform flow, chezy's and manning formula most economical section. (e) Measurement of discharges by (i) wairs and (ii) notch. (f) Hydraulic machines-pumps (Reciprocating and Centifugal), Turbines (Impluse & Reaction).

MECHANICAL ENGINEERING (Diploma Level)

Paper-I

SECTION - A

Applied Mechanics

Forces: Transmissibility, moments and couples, funicular polygon, lami's theorem, varigon theorem. **Friction:** Limiting and dynamical friction, coefficient of friction, bodies on inclined planes, simple screw jack. **Machines:** Basic terms-mechanical advantage, velocity ratio, mechanical efficiency. **Lifting machines:** System of pulleys-weston differential pulleys. **Stress and strain:** Volumetric and lateral strains hooke's law, poisson ratio, modulus of rigidity bulk modulus. Application to bars and composite sections. **Beams and trusses:** Determinate cases, bow's notation. Types of supports. **Graphical methods:** Analytical methods of joints and sections. **Thin cylinders and spherical shells:** Hoop stress, longitudinal stress. Changes in dimensions and volumes of thin shells subjected to internal pressure.

Theory of Machines and Automobile Technology

Slider crank mechanism: Turning moment in single cylinder engine: Fluctuation of speed and energy; crank effort diagrams, flywheel size. Gear drive: Gear trains; simple, compound, epicyclic and reverted. automobile gear box. Automobile differential. **Clutches:** Function of clutch in automobiles. Single plate and multiplate clutches. Friction torque for uniform wear and uniform pressure. **Cams:** Comconcept, classification of different cams and followers. Application to automobile engines, simple cam profiles for uniform velocity, SHM and uniform acceleration balancing. Static and dynamic balancing. balancing of masses rotating in same plane. Basic concept of several masses rotating in different planes, Application to automobile engines. Belt drive. Derivation of limiting ratios of driveing tensions, centrifugal tension V-belts. Ropes and chains. **Dynamometers:** Classification, functions, construction and working concepts. **Governor:** Functions, classification: Watt, porter, hartnell, hartung. Elementary numericals about height, maximum and minimum radil, controlling force etc.

Mechanics of Solids

Mechanical properties of materials: Concept of stress and strain, stress-strain curves of mild steel, aluminium, cast iron rubber etc., various modulli determination of stresses and strains in bolts, stepped bars, compound bars and columns oblique plane. Principal stresses,mohr circle. **Shear force/bending moments/deflection:** analysis of cases of concentrated and uniformly distributed load. **Shear force and bending moments diagrams:** Cantilever, simply supported, overchanging beams. **Strain energy:** resilience, derivation of formulae of strain energy for uniform bars in tension, shock load, shear stress. Modulus of resilience. **Torsion:** solid and hollw circular shafts-polar modulus, weights, power transmitted. **Springs:** close colled helical springs. Laminated springs. Maximum stress and central defection, (simple numericals, no proof of formulae). **Columns and struts:** long and short columns, slenderness ratio. End conditions and equivalent lenghts. Euler and rankine formulae (no derivation).

SECTION-B

Material Science

Materials: Ferrous-iron, steel, alloy steels. Nonferrous metals-aluminium, zinc, copper, tin, lead. Nonmetallic materials-timber, polymers. Basic knowledge of their production. **Structure of materials:** Crystalline, amorphous, arrangement of atoms. Crystal structure, imperfections.

mechanical properties of common metals and alloys, deformation. **Heat treatment:** Iron-carbon equilibrium diagram, TTT curves; recovery recrystallisation and grain growth, elementary concepts of hardening, tempering, annealing normalizing and case hardening. **Allied elements:** effects of alloying Cr, Co, Si, Mn etc., Tool steels, stainless steels, heat resisting alloys, spring steel. **Nonferrous materials:** Duralumin, solders, brass, bronze, gnmetal, inconel. **Non-metallic materials:** Timber-plywood, hard board, seasoning. Polymers, thermoplasts and thermosets. Heat insulating materials. Glass wool, thermocol, rubber. **Electric insulation materials:** Bakelite, mica refractory materials; composites.

Design and Estimating

General design considerations for machine parts: Steps in machine design, factor of safety. Mechanical properties of materials, selection of materials. Machine parts subjected to the following loadings: (i) **Direct and shear loads:** Threaded connection, cotter and knuckle joints (ii) **Bending moment:** Design for railway wagon axle and road vehicle axles. Proof load and proof stress. Semi elliptic laminated springs, maximum stress and deflection, (iii) **Twisting moment:** Solid and hollow shafts. Design of keys and coupling bolts in rigid flanged coupling. **Revetted and welded joints:** Types of reveted joints, strength, efficiency, safe load and pitch of revets, lap and butt joints. Common types of welded joints, leg length, throat thickness and size of weld. Simple design for vee, butt, transverse fillet and parallel fillet welded joints. **Theories of failure:** Maximum principal stress theory, maximum shear stress theory, concept of equivalent bending moment and torque; **Rolling elements bearing:** Equivalent load, dynamic capacity, life of bearings. **Estimation of material requirements:** Estimation of weight of simple machine parts. Review of the area/volume of triangle, hexagon, octagon, cylinder, frustum of cone and pyramid etc. **Estimation of time for common operations:** Turning, facing, threading, drilling, shaping, chamfering. Simple problems pertaining to above. **Estimation of cost:** Concept of costing-direct materials, indirect materials, direct labour, indirect labour, overhead expenses. Break-even analysis. **Cost estimation of welding:** Cost of materials, fabrication, preparation, welding, finishing and overhead expenses.

Industrial Engineering

Plant Layout: General plant location factors, selection of plant site. Product layout, process layout. **Standardization:** National and international standards, value of standardization. Standardization techniques and problems. **Quality Control:** Elements of quality control and objectives. Frequency distribution. X-R charts, P-charts, C-charts and acceptance sampling concept of production. Inspection and its objectives. Types of inspections. **Work Study:** Flow process chart, flow diagrams, work measurement, time study. Time and motion study. **Products, planning and control:** Sales forecasting and its uses. Planning-products, process, parts, materials. Optimum batch quantity for production and inventory. Routing, dispatching and follow-up activities. **Inventory control:** Elements of control procedures, types of controls. Inventory control system of bin and recorder cycle system. Safety stock concepts. **Material handling:** Factors in material handling problems. Reduction of cost and time through improved material handling. **Material handling equipment:** Lifting, lowering, transporting and combination devices. **Industrial safety:** Need for safety-legal, humanitarian, economic and social considerations. Safety at work place-unsafe conditions and hazards-electrical hazards, lighting, ventilation, heat control, noise and vibrations, fire and explosion, chemical hazards; hygiene. Brief knowledge of relevant acts like factory act, workman compensation act, Indian boiler act, Indian electricity act, explosive act.

MECHANICAL ENGINEERING (Diploma Level)

Paper-II

SECTION - A

Thermal Engineering

Boilers: Fire tube, water tube, mountings and accessories. Equivalent evaporation, efficiencies.
Steam and gas turbines: Impulse and reaction. Turbine components. Classification. Steam condensers, components and construction features. Internal combustion engines, classification. Two stroke and four stroke engines. Main components and their functions. Air standard cycles, otto, diesel, dual; efficiencies. Engine lubrication, cooling systems. **Air compressors:** Types reciprocating and rotary, single stage and two stage compressors. Simple numerical problems.

Refrigeration and Air Conditioning

Refrigeration: Various cycles. COP. Representation of cycles in p-V, T-S and P-H diagrams.
Vapour compression system: Wet and dry compression. Domestic refrigerator. Vapour absorption system, cycles of operation. Simple numerical problems. **Refrigerants:** Classification, properties SO₂, CO₂, NH₃, Freon-12 etc., **Air conditioning:** Psychrometry, basic ideas of salient terms-dry and wet bulb temperatures, dew point, enthalpy, sensible heating, humidification and dehumidification, sensible heat factor, basic knowledge of room air conditioning. Central air conditioning systems.

Hydraulics & Hydraulic Machines

Fluid Properties: Pressure-depth relationship, total pressure on lamina, condition of equilibrium of floating bodies, meta center and meta centric height (simple numerical problems). **Fluid dynamics:** types of flow, equation of continuity. Bernoulli equation, orifices, coefficients of contraction, velocity and discharge. Minor losses in fluid flow. Venturimeter, orifice meter, pilot tube. **Notches and weirs:** Rectangular notch, V-notch francis and bazin formulae for rectangular weirs. Broad crested weirs. Flow through pipes, friction loss darcy weisbach equation. Simple numerials. **Channels:** uniform flow in rectangular and trapezoidal channels. Chezy and manning equations. Most economical sections. **Hydraulic machines:** Impulse and reaction turbines, pelton, francis and kaplan turbines-constructional and operational features. Velocity diagrams. **Pumps:** Centrifugal and reciprocating pumps. Basic knowledge of constructional and operational features.

SECTION-B

Manufacturing Processes

Metal forming processes: Classification on the basis of properties of deformability, fusibility and divisibility such as rolling, forging, drawing, extruding, pressing, punching, blanking, spinning. **Welding:** Concept of various welding processes-electric arc, resistance, thermit, metal-inert-gas, tungsten-inert-gas, laser beam, electron beam, explosion and ultrasonic. **Welding of different materials in industries:** Plastics, aluminium, copper, brass, bronze, alloy steels, cast iron, stainless steel; oxyacetylene method. Welding arcs; arc initiation, structure, types, metal transfer characteristics. Different types of electrodes. Basic knowledge of testing of welds and relevant welding code. **Foundry practice:** Patterns and moulding-pattern types, materials, allowances, layout, colour scheme, defects cores. **Moulding process:** Mould materials, types of sands, parting powders, sand mixing and preparation. Moulding defects. Melting and pouring. Basic knowledge of refractory materials and fluxes. Furnaces-cupola, pit, tilting and electric types. **Special castings:** Shell mould casting, die casting, investment mould casting. Centrifugal and continuous casting, full mould casting. **Powder metallurgy:** Basic knowledge of the process, production of metal powders, blending, compaction, sintering etc. Self lubricated bearings. Advantages and limitations of the process.

Machine Tool Technology & Maintenance

Machine tools: Basic common features, drive systems, sources of power, work and tool holding devices, speed varying systems, mechanical methods of providing automaticity in machine tools. **Lathe:** Various parts, their functions and kinematics, lathe accessories and attachments. Capstan and turret lathe tools operations carried out on lathes such as turning, taper turning, drilling, screw cutting, reaming, knurling. Common lathe tools and their uses. Simple knowledge of computer numerical control (CNC) lathes and automation. **Milling machines:** Types, components, general

maintenance. Operations such as plane milling, angular milling, straddle milling, spur gear milling, endexing. **Shaping, planing and slotting machines:** Components, working principle, quick return mechanism; types of tools used, their geometry. **Drilling and boring machines:** Constructional details and principle of working. Classification such as simple and radial types. Tools used. Maintenance; general and periodic. **Grinding machines:** Types common abrasive materials, grains, grits; speeds and feeds. Use of coolants. **Jigs and fixtures:** Difference between jigs and fixtures, types of jigs. **Cooling processes:** Coolants and cutting fluids their fuctions, selection for different materials and operations.

Workshop Practice & Production Technology

Workshop technology: Scope in engineering. Brief survey of different shops generally contained in a standard engineering workshop viz. Carpentry, foundry, smithy, sheet metal, fitting, painting and machine shops. **Carpentry:** Common carpentry tools-their classification such as marking and measuring, holding and supporting, cutting and sawing, drilling and boring, striking and turning (name of parts, functions and specification only). **Joining of timber components:** Types of joints, common defects likely to occur in joints, their causes. **Foundry:** Basic knowledge of tools used in foundries. **Patterns-types, uses and allowances:** Green sand maoulding; sand preparation and additives, parting powders, problems in moulding, uses of cores, risers, gates, chills etc. **Smithy:** Basic concepts of operations in smithy shop such as fullering, upsetting, swaging, forge welding drawing down. Tools used in smithy (names, functions and size specifications only) smithy forge, blower, shovel anvil, swage block, striking tools, punch , drift and hammers. **Sheet metal shop:** Basic knowledge of operations such as laying out, shearing, blanking, seaming, burning, stamping etc., tools in sheet metal shop used for marking, measuring, punching. **Fitting shop:** Fasterners like rivets, bolts, nuts, screws, keys, pins etc., (basic understanding only). Tools used in fitting shop such as threading tools, dies, taps, vices, wrench and spanners, hack saw, drills (names, function and specifications only). **Painting shop:** Surface preparation, sand and emery papers, varnishing and polishing. Common materials used such as red oxide, putty, yellow clay. Defects likely to occur in painting and their remedies. **Machine shop:** Elementary theory of metal cutting; chips-types, geometry of formation. Brief idea of newer machining processes such as abrasive jet machining, ultrasonic machining, chemical machining, electric discharge machining, leser beam machining, electron beam machining, plasma arc machining. **Metal finishing processes:** Such as diamond machining, honing, lappings buffing etc.

ELECTRICAL ENGINEERING (Diploma Level)

Paper-I

SECTION - A

(Brief study of following subjects)

1. Basic Electrical Engg.: Basic terminology and their concept, D.C. circuits, batteries, capacitors, electromagnetism, electromagnetic induction, A.C. circuits, polyphase circuits. **2. Electrical and electronic engg. materials:** Classification, conducting materials, insulating materials, magnetic materials, semi-conductor materials, special purpose materials. **3. Electronics-I:** Semiconductor diode, bipolar junction transistor, basic transistor amplifier, single stage transistor amplifier, transistor power amplifier, feedback in amplifiers, regulated power supply. **4. Electrical machine-I:** Generalized treatment, D.C. machines, transformer, A.C. generator (Alternator). Voltage regulators.

SECTION-B

(Brief study of following subjects)

5. Electrical instruments and measurements: Introduction to electrical measuring instruments, measurement and errors, ammeters and voltmeters (moving coil and moving iron) wattmeters (dynamometer type) and max. demand indicator, energy meter (induction type), miscellaneous measuring instruments, electronic instruments, measurement of resistance, inductance and capacitance. Elements of process instruments. **6. Power plant engg.:** Thermal stations, hydro electric plants, nuclear power plants, diesel power plants, gasturbine plants. Combined working of power plants, major electrical equipment in power stations, recent development. **7. Transmission and distribution of electrical powers:** Electrical design of lines. Constructional features of transmission lines, economic principles of transmission, mechanical design of distribution system lines/power factor improvement, underground cables, carrier communication. **8. Electronics-II:** Digital electronics, microprocessors, oscillators, integrated electronics, operational amplifiers, communication engg.

ELECTRICAL ENGINEERING (Diploma Level)

Paper-II

Section – A

(Brief study of following subjects)

1. **Network Theorems:** KCL, KVL, Thevenin's theorem, Norton's theorem, Superposition theorem and Maximum power transfer theorem.
2. **Electrical Machines-II :** Synchronous motor, Induction motor, FHP motors, Stepper motor, Servomotor, Submersible pumps.
3. **Switchgear and Protection:** Distribution system, Causes of low power factor, Fuses, Switchgears, Circuit breakers, Isolators, protective schemes, overvoltage protection, over current protection, different types of substations.
4. **Non-conventional sources of energy :** Importance and it's present scenario, Future prospects and it's Economics, Solar Energy, Bio Energy, Wind Energy, Geothermal and Tidal Energy.
5. **Estimation and costing in Electrical Engineering :** Introduction and types of wiring, Estimation and costing of overhead and underground distribution. Introduction to Energy Management.
6. **Utilization of Electrical Energy:** Illumination, Electrical welding, Electric-heating, Electrolytic process, Electric circuits in refrigeration, Air conditioner and water cooler, Electric drives and Electric traction.

Section – B
(Brief study of following subjects)

7. **Installation and Maintenance of Electrical equipment:** Brief study of Electrical maintenance, installation and commissioning, Preventive maintenance of electrical equipments, Electrical safety, Insulation testing and electrical earthing.
8. **Industrial Electronics:** Semiconductor, Introduction to SCR, Controlled Rectifiers, Choppers, Dual Convertors, Cycloconverters, Thyristor control of electric drives and UPS.
9. **Instrumentation and control:** CRO and it's application, open loop and closed control system, Components and circuits of control system, Introduction, working and application of programmable logic controllers (PLC).
10. **Miscellaneous measurements and Transducers:** Meggar and it's application, Transducers, Measurement of displacement, strain, force, torque, pressure flow and temperature, signal conditioning, recording and display systems.

AGRICULTURAL ENGINEERING (Diploma Level)
Paper-I
SECTION - A

1- Farm Power Engineering & Non Conventional sources of Energy: Introductions : Sources of power on farms, comparative study and uses. Limitation and brief description of animal, fossil fuel (Diesel/petrol) wind, solar, Biogas and electric power. **I.C. Engines :** Principles Heat engine, principle of operation, classification of I.C. Engines, Principles of operation two stroke and four stroke engine. Diesel and petrol engine, stationary, reciprocating and rotary parts, their material of construction and functions. Concept of terms related with I.C. engine, Numerical problems related with different terms. Performance of engine. **Tractor:** Introduction Classification of tractor and adoptability. Factors affecting selection of tractor. General idea about different makes, models, in fifferent H.P. ranges of tractors. **Hourly Cost of Operation :** Hourly Cost of operation of small petrol engine, diesel engine and tractor.

2- Non Conventional Enegry ; Bio-gas Technonogy : Introduction of Biogas, Production of Biogas, Bio-digestion of plants and animals waste, reaction taking place during bio-digestion, gases produced during the process, elimination of unwanted gases such as CO₂ and H₂ s. Factors affecting production of gas, efficiency of Bio-gas plants in winter, uses of biogas. **Wind Energy Technology:** Types of wind mills-Vertical axis and Horizontal axis. Various uses of wind mills. Site selection for a wind mill construction, working and maintenance of wind mills. **Solar Energy Technology :** Solar radiation and potentiality of solar radiation in India. Application of solar energy. solar collector.

Section-B

3- Post Harvest Technology & Agro Based Industries : Introduction: Importance of grain and seed processing principles of agricultural processing, sequence of operation, Flow digestion services offered by processor of farmers: Wheat, Maize, paddy and Soyabeen, **Agro-Based Industries:** Sugercane crushing, khandsari and Gur making process and equipment, vegetable and animal waste utilization, bye products of Soyabeen and potato, dehydration of vegetables.

4- Farm & Land Development Machinery : Farm Mechanization: Definition, Status of farm mechanization in India, Scope, Limitation, Advantages. Primary and Secondary tillage equipment, Sowing and Planting equipment, Harvesting and theshing equipment, Land Development

equipment: construction, operation and output of the following Dozen Scraper, Draghoe and Dragline.

AGRICULTURAL ENGINEERING (Diploma Level)
Paper-II
SECTION - A

1- Irrigation and Drainage Engineering: Introduction: Definition of Irrigation, History of Irrigation, Necessity and scope of Irrigation. **Water Requirement of Plants:** Types of soils, soil properties in relation of Irrigation and drainage, classes and availability of soil water, Evaporation, transpiration, evapotranspiration, consumptive use, estimating crop water requirements, duty of water, delta. Assessment irrigation water requirements of different crops, estimation of depth and time of irrigation, different criteria for irrigation scheduling depending upon soil plant- atmospheric factor. **Irrigation Methods:** Surface and subsurface methods, sprinkler and drip system of irrigation and conjunctive use. Measurement of irrigation efficiencies, water conveyance, storage, application, distribution and water use efficiency.

Drainage Engineering: Definition, necessity, water logging salinity, its control interrelationship of irrigation, drainage, drainage coefficient. Different types of surface and subsurface drainage system.

2- Minor Irrigation : Importance, necessity and advantages of minor irrigation, land survey, method of levelling, determination of cuts and fill. Importance and necessity of levelling. Sources of minor irrigation. Definition of tubewell, need, advantage & disadvantage, characteristics of tubewell site, factor affecting site selection.

Section - B

3- SOIL & WATER CONSTRUCTION AND LAND RECLAMATION ENGINEERING: Mechanics, types and causes of soil erosion, factors affecting erosion, damages caused by soil erosion. Agronomical measures for soil & water conservation : Contour farming, matching, strip cropping, cover cropping, mixed cropping, role of grasses in soil conservation. **Mechanical method of erosion control:** Field bunding, contour bunding, graded bunding, ridge and channel terraces. **Gully erosion control:** classification of gullies, control of gullies by temporary and permanent structures: earthen check dams, brush dams, loose rock dams, straight drop spiliway. **Land Reclamation:** Classification of user soils, salty resistant crops, reclamation of user soils. Reclamation of waste lands forest lands and sandy soils, sanddunes stabilization. **Ravine Reclamation:** Classification of ravines and various measures for ravine reclamation.

परिशिष्ट-5

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र ।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

**उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :	हस्ताक्षर
दिनांक :	पूरा नाम
मुहर :	पदनाम
मजिस्ट्रेट/सिटी	जिलाधिकारी/अपर जिला
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।	

**उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22 / 16 / 92-का-2 / 1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
.....तहसील नगर जिला में
सामान्यतया रहता है।

स्थान :	हस्ताक्षर
दिनांक :	पूरा नाम
	पदनाम
	मुहर
	जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
	मजिस्ट्रेट/उप जिला
	मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिये प्रमाण—पत्र

(केवल शास0 सं0-1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0-776/xx(4)26/उ0आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0-637/xx(4)-26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अह सेवायोजन हेतु चिन्हित आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
 तहसील नगर जिला शास0
 सं0-1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0-776/xx(4)26/उ0आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0-637/xx(4)-26/ उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित है।

स्थान :	हस्ताक्षर
दिनांक :	पूरा नाम
	पदनाम
	मुहर
	जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र^{शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997}
 (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
 तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश
 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :	हस्ताक्षर
दिनांक :	पूरा नाम.....
	पदनाम
	मुहर
	जिलाधिकारी
	(सील)

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या –

तारीख

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के
अध्ययक्ष द्वारा
विधिवत् प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल
का फोटो जो
उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु 0
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्रीआयुलिंगपहचान

चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिकीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

- (क) दुर्बल पहुँच
- (ख) कमजोर पकड़
- (ग) गति विभ्रम (अटैकिसस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

- (क) दुर्बल पहुँच
- (ख) कमजोर पकड़
- (ग) गति विभ्रम (अटैकिसस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

- (i) बी – अंधता
- (ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी–बधिर
- (ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/ सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षोंमहीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।

हॉ/नहीं

(ii) पी पी—धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।	हॉ/नहीं
(iii) एल—उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv) के सी—घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हॉ/नहीं
(v) बी—झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi) एस—बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vii) एस टी—खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii) डब्लू—चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ix) एस ई—देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(x) एच—सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(xi) आर डब्लू—पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

(आ०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(आ०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(आ०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।